BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : भटेवरा (कोन)   परगना : (कंतित (कोन))   तहसील : सदर   जनपद : मिर्जापुर   फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)   भाग : 1   खाता संख्या : 00004

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
अशोककुमार / शिवशंकर / नि. ग्राम सन्तोषकुमार / पन्नालाल / नि चिल्ह मालती / नान्हक / नि0भटेवरा शिवशंकर मौर्या / स्व0 सुद्दू / तकिया दानूशाह घण्टाघर द्वारका प्रसाद साहू / स्व0देवीप्रसाद साहू / पक्की सराय तकिया दानूशाह संगीता गुप्ता / सुरेश कुमार गुप्ता / नि.तकिया दानूशाह घण्टाघर संतोष कुमार / स्व0 सुक्खीलाल / नि0 तकिया दानूशाह घण्टाघर रेखा साहू / स्व0 देवीप्रसाद / नि0 सन्तोषी माता मंदिर के पास पक्की सराय	203	0.2800	वाद सं0 T201916530108990 तहसीलदार न्यायिक सदर मीरजापुर दिनांक 5.10.2019 मौजा भटेवरा की आ0न0 203 रकबा 0.2800हे0 में अपने हिस्से में से मात्र रकबा 925 वर्गफीट यानी 85.95वर्गमीटर लगानी परता खाता से विक्रेता अशोक कुमार पुत्र शिवशंकर निवासी ग्राम भटेवरा तप्पा कोन मीरजापुर का नाम निरस्त करके बैनामा के आधार पर क्रेतिका श्रीमती गुड्डी पत्नी अजय निवासी ग्राम भटेवरा तप्पा कोन मीरजापुर का नाम बतौर सं0 भू0 दर्ज कागजात हो। ह0र0का0दि016.10.2019 वाद सं0 T202016530102446 तहसीलदार सदर मीरजापुर 01-9-2020 मौजा भटेवरा तप्पा कोन की आ0न0 203 रकबा 0.2800 हे0 में से रकबा 1110 वर्गफीट यानी 103.159 वर्गमीटर लगानी परता खाता से विक्रेता अशोक कुमार पुत्र स्व0 शिवशंकर नि0 भटेवरा तप्पा कोन मीरजापुर का नाम निरस्त करके बैनामा के आधार पर क्रेतिका श्रीमती काजल भारती पत्नी अशोक भारती निवासी ग्राम भटेवरा तप्पा कोन मीरजापुर का नाम बतौर सं0भू0 दर्ज कागजात हो। ह0र0का0 14-9-2020 वाद सं0 T202116530101237 ना0त0 शहर मीरजापुर	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

Digital India

			02-3-2021 मौजा भटेवरा की आ0नं0 203 रकबा 0.280 हे0 में अपने अंश में से रकबा 1369 वर्गफीट लगानी भू0रा0 परता खाता से विक्रेता अशोक कुमार पुत्र शिवशंकर नि0 भटेवरा तप्पा कोन मीरजापुर का नाम निरस्त करके बैनामा के आधार पर क्रेता मुल्हरा देवी पत्नी श्यामधर नि0 भटेवरा तप्पा कोन मीरजापुर का नाम बतौर सं0भू0 दर्ज कागजात हो। ह0र0का0 2-3-2021 वाद सं0 T202116530108461 ना0तह0 मड़वां 16-08-2021 मौजा भटेवरा की आ0नं0 203 रकबा 0.2800 हे0 में अपने वैधानिक अंश में से रकबा 2730 वर्ग फीट यानी 253.71 वर्ग मीटर यानी 0.0253071 हे0 लगानी परता खाता से विक्रेता सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 पन्नालाल नि0 ग्राम चील्ह तप्पा कोन का नाम निरस्त करके बैनामा के आधार पर क्रेतिका श्रीमती चम्पा पत्नी प्रकाश नि0 ग्राम चील्ह तप्पा कोन पर0 कंतित तह0 सदर जिला मीरजापुर का नाम बतौर सं0भू0 दर्ज कागजात हो। ह0प्र0र0का0 16-8-2021
योग	1	0.2800	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

<u>**General Diary Details**</u>

<u>**सामान्य दैनिकी विवरण**</u>

State (राज्य): उत्तर प्रदेश

P.S. (थाना): चिल्ह

District/Unit (जिला/इकाई): मिर्जापुर

1. **G.D. No. (रोजनामचा स.):** 039
2. **G.D. Date (रोजनामचा दिनांक):** 06/03/2026 16:33 बजे
3. **G.D. Type (रोजनामचा प्रकार):** निवारक कार्यवाई
4. **Entry for (officer) (प्रविष्टि(अधिकारी के लिए)):** अवर निरीक्षक
5. **Case Type (प्रकरण के प्रकार) :** प्रौढ
6. **Subject (विषय):**
   वापसी उ0नि0 व दाखिला 02 किता चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस
7. **G.D. Brief**
   इस समय मै उ0नि0 सुरेश राम रवानाशुदा रो0आम तारीखी इमरोजा से बाद देखभाल क्षेत्रभ्रमण करते हुए मय किता चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस के उपस्थित थाना आया । विवरण कार्यसरकार इस प्रकार रहा कि मै उ0नि0 थाना हाजा से प्रस्थान कर प्रा0पत्र के जाँच मे ग्राम भटेवरा पहुँचा जहा ग्रामीणो से ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष के 1-नरेश जायसवाल पुत्र अशोक कुमार जायसवाल उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम भटेवरा थाना चील्ह जनपद मीरजापुर व द्वितीयपक्ष के 1-अशोक कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 शिव शंकर जायसवाल उम्र करीब 59 वर्ष निवासी हालपता मुरेबापुरा कालोनी बथुआ थाना को0 कटरा जनपद मीरजापुर के मध्य मकान बटवारे को लेकर तनाव व कसीदगी व्याप्त है । उभय पक्ष कभी भी आपस मे लड झगड कर परिशान्ति भंग कर सकते है जिनके विरुद्ध परिशान्ति कायम रखने के उद्देश्य से अन्तर्गत धारा 126/135 बीएनएसएस मे चालान मा0न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है । मा0न्यायालय सेअनुरोध है कि उभय पक्षो को तलब कर भारी से भारी जमानत व मुचलके की धनराशि से लम्बी अवधि के लिए पाबन्द करने की कृपा की जाय ताकि मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम की जा सके । विस्तृत विवरण मुन्दर्जा चालानी रिपोर्ट है । पुन मै उ0नि0 कार्यसरकार हेतु अन्दर थानाक्षेत्र रवाना हुआ ।
8. **Acts & Sections (अधिनियम और धारा(एँ)):**

S.No.(क्र.स.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 06/03/2026

Report Printed by (जिस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित):

Name (नाम): RAVINDRA BHUSHAN

Rank (पद): I (Inspector)

Signature (हस्ताक्षर):

Name (नाम): RAVINDRA BHUSHAN MAURYA

Rank (पद): I (Inspector)

No.(सं.): 012090219

Location provider: Fused
Chilh-Gargeri Marg
Chilh 231312
Uttar Pradesh
India

2019/1/16 20:51

पत्र सूचना शाखा
(मीडिया सेल, गृह विभाग)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

धारा–107/116/151 के तहत अवैध रूप से हिरासत पाये जाने पर पीड़ित व्यक्ति को मिलेगा 25 हजार रूपये मुआवजा

अवैध हिरासत किये जाने के उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध भी होगी नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के क्रम शासन द्वारा दिये गये जरूरी दिशा–निर्देश

लखनऊः 09 सितम्बर, 2021

परिशांति कायम रखने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन धारा–107/116/151 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों के क्रियान्वयन के विषय में शासन द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के क्रम में लिया गया है, जिसमें इस विषय पर एक उचित कार्य प्रणाली(Mechanism) विकसित किये जाने हेतु यथोचित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस क्रम में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों सहित पुलिस महानिदेशक, समस्त जोनल, अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त परिक्षेत्रीय महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 को शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

निर्देशों में शासन द्वारा समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उसके अधीनस्थ समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स तथा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स से यह अपेक्षा की गयी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में उन्हें प्रदत्त की गयी शक्तियां, उनके क्षेत्राधिकार में शांति व्यवस्था एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने के लिए हैं। शासन द्वारा कहा गया है कि इनका पालन सदैव गुण दोष के आधार पर युक्ति–युक्त न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुये, विधि एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाय, ताकि आम जन को संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार संरक्षित रहे।

शासन द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है, तो पीड़ित व्यक्ति को 25 हजार रूपये की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किया जायेगा। इसके साथ ही अवैध हिरासत किये जाने के उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध भी नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

———

सम्पर्क– दिनेश कुमार सिंह, सूचनाधिकारी